न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—256 / 2018 / 223 (2018 / 00256)

1. गिरधारी पुत्र मकना,
2. श्रीमती राधा पत्नि गिरधारी,
समस्त जाति, मेहरात, निवासी ग्राम सुबेदार का बाडिया मालपुरा जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 7.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 10 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 14.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 90, 91, 92—ए व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम मालपुरा, तहसील ब्यावार में आराजी खसरा नंबर 101, 102, 103, 113, 112, 98 आराजियात चली आ रही है उक्त खसरा नंबर 101, 102, 103, 113 पर अपीलांट संख्या 2 व खसरा नंबर 112 व 98 पर अपीलांट संख्या 1 का कब्जा काश्त है । प्रश्नगत आराजी पर वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कानून लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त थे तथा उक्त विवादित आराजी पर मौसम अनुरूप खेती करते चले आ रहे है । अजमेर टिनेन्सी एक्ट एवं लैण्ड रिकार्ड एक्ट 1950 लागू होने के बाद 1951—52 में किया गया जिसे 50 साला बंदोबस्त कहते है तथा बारानी आराजी जिसे रेनफेड एरिया कहा जाता था उस पर वादीगण के पूर्वजों ने इस आराजी को अपने नाम अंकित इसलिये नहीं कराया क्योंकि अजमेर जिले में बरसात की कमी की वजह से उस आराजी का लगान अधिक भरना पडेगा । राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 1959 में लागू हुआ परन्तु विवादित आराजी के जोतने वो काश्तकार वादीगण व उनके पूर्वजों को अधिकार उपरोक्त अधिनियमों के माध्यम से प्राप्त हुए उनका राजस्व अभिलेख में

नियमन, भू–सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेख नहीं होने के कारण नहीं दिये जा सके जबकि वादीगण व उनके पूर्वज दीर्घकालीन समय से ही काबिज काश्त थे परन्तु अजमेर क्षैत्र में भू–सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेख नहीं होने के कारण वादीगण व उनके पूर्वजों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया । वादीगण के कब्जे काश्त होने के कारण अविधिक रूप से तहसीलदार ने वादीगण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट दर्ज कर विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश दिये तथा अब राज्य सरकार विवादित आराजी को वादीगण को सुने बिना व्याप्त करने व उक्त आराजी की प्रकृति तब्दील करने की प्रक्रिया में है इसलिये वादीगण को वाद प्रस्तुत करना आवयकत हुआ । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को विवादित आराजियात से बेदखल नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2018 के द्वारा वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तोर पर एकतरफा में अपीलधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नही किया कि वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का था तथा वादीगण द्वारा वाद दिनांक 2.4.2018 को पेश किया गया था जिसको दर्ज कर प्रतिवादी के नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.3.2018 नियत की किन्तु दिनांक 27.3.2018 को उपखण्ड अधिकारी के प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त होने के कारण आगामी तारीख पेशी 18.6.2018 नियत की गई थी। उक्त तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 24.4.2018 को उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखकर पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश देते हुए पत्रावली दिनांक 7.5.2018 को लोक अदालत कैम्प मालपुरा में नियम कर दी तथा जबकि वादीगण का वाद प्रतिवादी के जवाब में चल रहा था एवं वाद में वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य भी नहीं ली गई एवं प्रतिवादी द्वारा कैम्प में निर्णय दिनांक 7.5.2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वादी को दिये बिना व प्रतिवादी के जवाब का खण्डन का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । यह भी कथन किया कि लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते है जिनमें पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ था । अपीलांटस भूमिहीन कृषक है जिसका विवादित भूमि पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्यों से होती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर प्रकरण को कैम्प में रखकर सरसरी तौर पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण का विवादित आराजियात पर पुराना कब्जा काश्त होने से वादीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो गये थे । अधी0न्याया0 ने वाद में बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार

कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। वादी/अपीलांट ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है जबकि नियमों में कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली एवं अपीलांट के कथनों से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प मालपुरा में निर्णित किया है। इस संबंध में अपीलांटस का कथन रहा है कि उक्त कैम्प के नोटिस अपीलांटस को तामील नहीं हुए थे तथा अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को लोक अदालत कैम्प मालपुरा में निर्णित किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, ब्यावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 7.5.2018 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार, ब्यावर ने अपनी जांच रिपोर्ट में विवादित आराजी को दांती हेली ड्रोम निर्माण हेतु आरक्षित होना बताया है । विवादित भूमि कि किस्म दांती होकर हेली ड्रोम हेतु आरक्षित होने से धारा 16 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रतिबंधित भूमि है जिसका किसी को आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है तथा न हीं विवादित भूमि बाबत् खातेदारी का अनुतोष ही प्रदान किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण कर वादी/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2018 यथावत् रखी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर